



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.12.2025

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ उ0प्र शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन शिकंजा के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा पेशेवर फर्जी जमानदार को किया गया गिरफ्तार ।
- ❖ गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा फर्जी आधार कार्ड, फर्जी खतौनी व विभिन्न फर्जी प्रपत्रों का प्रयोग कर बांदा के विभिन्न थानों व आस पास के कई जनपदों में फर्जी तरीके से ली गई थी जमानत ।
- ❖ **विवरण-** उ0प्र0 शासन मां0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के क्रम में आज दिनांक 17.12.2025 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस0 के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल नेतृत्व में व अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज, क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजवीर सिंह गौर के निकट पर्यवेक्षण थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा फर्जी जमानतदारों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 19.11.2025 को जगतनारायण पुत्र गोपाल सिंह निवासी भिड़ौरा थाना तिन्दवारी ने थाना स्थानीय दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि मेरे नाम का फर्जी आधार कार्ड, खसरा खतौनी व फर्जी फोटो लगाकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कूटरचित तरीके से बलात्कार के अभियुक्त की मा0 न्यायालय में जमानत ली गई है । इस संबंध में थाना तिन्दवारी पर क्रमशः मु0अ0सं0 284/25 पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, अभिसूचना संकलन, अभिलेखों के सत्यापन व मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रामबाबू उर्फ डाक्टर को ग्राम भिड़ौरा पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया । पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि हमारे गैंग के लीडर शिवस्वरूप उर्फ मास्टर व साथी बलबीर, हरीशंकर, हेमन्त, द्वारा फर्जी व कूटरचित तरीके से खसरा-खतौनी, आधार कार्ड व अन्य फर्जी परिपत्र का प्रयोग कर कई मुकदमों में जमानत ली गई है । गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है । बता दें कि मुख्य अभियुक्त शिवस्वरूप उर्फ मास्टर व साथी बलबीर, हरीशंकर, हेमन्त को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है ।

### बरामदगी-

- 13 अदद आधार कार्ड

### गिरफ्तार अभियुक्त-

- रामबाबू उर्फ डाक्टर पुत्र कल्लू निवासी पिपरहरी थाना पैलानी जनपद बांदा ।

### पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 284/25 धारा 229/233/237/246/318(4)/318(2)/338/336(3)/340(2)/319(2)/61(2) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा ।
- मु0अ0सं0- 274/25 धारा 319(2)/318(2)/318(4)/246/237/229/233/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा ।
- मु0अ0सं0-285/25 धारा 229/233/237/246/318(4)/318(2)/338/336(3)/340(2)/319(2)/61(2) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा ।
- मु0अ0सं0-280/25 धारा 319(2)/318(4)/318(2)/246/237/229/233/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा ।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह थाना प्रभारी तिन्दवारी
2. उ०नि० श्री दिनेश सिंह
3. उ० नि० श्री अंजनी कुमार
4. उ० नि० श्री रामाधार
5. का० अनूप कुमार